पण्यावर्त पॉलिसियाँ

>> पण्यावर्त पॉलिसी क्या है व इसे कौन ले सकता है ?

पण्यावर्त पॉलिसी, मानक पॉलिसी का रूपांतरण है, जो उन निर्यातकों के फायदे के लिए है जो प्रीमियम के रूप में कम से कम प्रति वर्ष १० लाख रु. का योगदान देते हैं । अत: वे सभी निर्यातक इसे लेने के लिए पात्र होंगे जो एक वर्ष में १० लाख रु. का प्रीमियम अदा करेंगे ।

>> पण्यावर्त पॉलिसी किन मायनों में मानक पॉलिसी से अलग है ?

पण्यावर्त पॉलिसी के अंतर्गत निर्यातक के एक वर्ष के परिकल्पित निर्यात पण्यावर्त पर विचार किया जाता है तथा उसी आधार पर प्रारंभिक देय प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है जो कि वर्ष के अंत में वास्तविक प्रीमियम के आधार पर समायोजन के अधीन होगा । यह पॉलिसी परिकल्पित निर्यात पण्यावर्त से अधिक निर्यात होने पर संवर्धित प्रोत्साहन के साथ प्रीमियम में अतिरिक्त छूट प्रदान करती है तथा प्रीमियम के प्रेषण और पोतलदान जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए सरलीकृत प्रक्रिया भी प्रदान करती है । पण्यावर्त पॉलिसी एक वर्ष की वैधता के साथ जारी की जाती है । अधिकांशतया अन्य सभी मामलों में मानक पॉलिसी से संबंधित प्रावधान, पण्यावर्त पॉलिसी के लिए लागू होंगे ।

>> पण्यावर्त पॉलिसी के धारकों के मामले में पोतलदान घोषणाओं को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को किन मायनों में सरलीकृत किया गया है ?

पण्यावर्त पॉलिसी के धारकों को पोतलदान घोषणाओं की मासिक प्रस्तुति करने की आवश्यकता नहीं है । इसके बजाय, उन्हें केवल निर्धारित प्रारूप में, तिमाही की समाप्ति के ३० दिनों के भीतर तिमाही के दौरान किए गए पोतलदानों का विवरण प्रस्तुत करना होगा ।

>> प्रीमियम दरें तथा पण्यावर्त पॉलिसी के लिए लागू छूट की दरें क्या है ?

मानक पॉलिसी के लिए लागू मूल प्रीमियम दरें, पण्यावर्त पॉलिसी के लिए भी लागू होंगी । तथापि, मानक पॉलिसी का धारक, निर्यात पण्यावर्त पॉलिसी ले सकता है, वह "नो क्लेम बोनस" जिसका मानक पॉलिसी के अंतर्गत वह लाभ उठा रहा है, के अलावा १०% की अतिरिक्त छूट के लिए भी पात्र होगा जो २०% की न्यूनतम छूट के अधीन है । यदि निर्यातक जिसने मानक पॉलिसी नहीं ली है और पण्यावर्त पॉलिसी ली है, वह २०% की छूट के लिए पात्र होगा । यदि भविष्य में उसने कोई दावा नहीं लिया है, तो वह "नो

क्लेम बोनस" के लिए भी पात्र होगा तथा फलस्वरूप पूरी छूट मिलेगी और यह पूरी छूट ६०% तक जा सकती है ।

>> पण्यावर्त पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम के भुगतान के लिए कौनसी प्रक्रिया है ?

परिकल्पित पण्यावर्त के लिए परिकल्पित प्रीमियम चार तिमाही किस्तों में देय है (मासिक किस्तों में प्रीमियम के अदायगी की सुविधा मामला दर मामला आधार पर प्रदान की जाएगी ।

>> परिकल्पित पण्यावर्त पर अदा किया गया प्रीमियम तथा वास्तविक पण्यावर्त पर देय प्रीमियम के अंतर का समायोजन कैसे होता है ?

वर्ष के अंत में वास्तविक पण्यावर्त के आधार पर देय प्रीमियम, परिकल्पित पण्यावर्त के आधार पर अदा किए प्रीमियम से कम है, तो अदा की गई अतिरिक्त राशि को अगली पॉलिसी अवधि के लिए आगे लाया जाएगा तथा उसे नवीकृत पॉलिसी की प्रथम तिमाही के प्रीमियम में समायोजित किया जाएगा । यदि पॉलिसी का नवीकरण नहीं किया गया तथा अदा किए गए प्रीमियम व देय प्रीमियम के बीच अंतर १०% से अधिक है तो सीमांत समायोजन के अधीन उसे लौटा दिया जाएगा ।

यदि वास्तविक पण्यावर्त के आधार पर देय प्रीमियम परिकल्पित प्रीमियम से १०% से अधिक नहीं है, अतिरिक्त प्रीमियम अदा करने की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि यह पॉलिसीधारक को अपना पण्यावर्त बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन है । यदि यह १०% से अधिक है, केवल १०% से ज्यादा प्रीमियम की अदायगी ही करनी होगी ।